मानवधिकार की अवधारणा का विकास

डा0 अरूण कुमार सिंह,
रीडर एवम अध्यक्ष, भूगोल विभाग
हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया इलाहाबाद

डा0 सुधीर कुमार ,
प्रवक्ता , भूगोल विभाग,
हंडिया पी0 जी0 कालेज हंडिया, इलाहाबाद

मानवीय अधिकार या मानवाधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलते हैं कि उसे मनुष्य के रूप मे जीवित रहने के लिये उन अधिकारों की आवश्कता होती है । ''प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतन्त्रताओं की संरक्षा एवं उसे प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं''। मनुष्यों के प्रतिष्ठित तथा स्वतन्त्र अस्तित्व में होने वाली अभिवृद्वि मानव अधिकार के रूप मे देखी जानी चाहिए।

इतिहास तथा प्राचीन धर्मग्रन्थों मे भी मूल मानव अधिकारों का वर्णन किया गया है किन्तु इन ग्रथों में इन्हे मानवाधिकार नाम से शामिल नही किया गया। आधुनिक इतिहासकार इस संकल्पना के उद्भव का श्रेय सन 1215 के मैग्नाकार्टा को देते है। उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन राजा द्वारा मानव–अधिकारों के सम्बन्ध में एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसके बाद 1628 के अधिकार पत्र तथा 1689 के अधिकार पत्र (Bill of Rights) मानवाधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेज जारी किये गये।

सर्वप्रथम सन् 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र मे 'मानवाधिकार' शब्द का प्रयोग अधिकारों से सम्बन्धित विल शामिल किया गया था। मानवाधिकारों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हुए अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान है सभी मनुष्यों को ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार दिये है जिन्हे छीना नही जा सकता है, और इस अधिकार में जीवन स्वतंन्त्रता और अपनी समृद्वि के लिए प्रयत्नशील रहने के अधिकार भी सम्मिलित (4जुलाई 1776 अमेरिकी स्वतंन्त्रता घोषणा) किसी राज्य भी राज्य में अधिकारों की विषयवस्तु सम्बधित समाज में व्याप्त समान्य मत अथवा मतैक्य द्वारा निर्धारित होती है।

अधिकारों में सामाजिक कल्याण के तथ्य समाहित हैं क्योंकि कोई भी समाज विकास की ओर तभी अग्रसर होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भागीदारी को स्वीकार करे। सामान्यतः एक दूसरे की कल्याणप्रद भागीदारी की मान्यता ही अधिकारों की प्रेरक है। मानवता में विश्वास ही मानव अधिकार है। अच्छा समाज वहीं बन सकता है जहां नागरिकों के अधिकारों का अधिकतम् संवर्धन होता रहे।

फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सन् 1789 मे फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली द्वारा स्वीकृत मानवीय एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा अद्यतन राजनीतिक विकास की वाहक बनी। फ्रांस की क्रान्ति का समग्र चिन्तन अद्यतन मानव अधिकारो का प्रथम सोपान है, जिससे लोकतंन्त्र को दृढ़ता मिली है तथा संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा को सम्यक आधार मिला। सन् 1929 में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान न्यूयार्क (यू0एस0ए0) ने मानव अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक घोषणापत्र तैयार किया, तत्पश्चात् 1945 में इन्टर अमेरिकी

कॉन्फ्रेस ने संकल्प पारित किया, जिसमें ''मानव जाति के अधिकार '' की अवधारणा को बढावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फोरम तैयार करने का प्रयत्न किया गया।

मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

किसी भेदभाव के बिना मानव अधिकार तथा मूलभूत स्वतन्त्रता के प्रति आदर की भावना को बढावा देने से सम्बन्धित चार्टर के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल तैयार किया। इस बिल में निम्नलिखित विशेष दस्तावेज भी शामिल थे जो इस प्रकार है।

(क) सार्वभौमिक मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (1948)

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (1966)

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र

(घ) व्यक्ति को अन्तरर्राष्ट्रीय एजेन्सियों में रिट/ याचिका का अधिकार देने से सम्बन्धित वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1966)

यह बिल निम्नलिखित सिद्वान्तों पर आधारित था।

(1) भेद भाव के बिना सभी व्यक्तियों को मानव अधिकार से सम्बन्धित इन दस्तावेजों में शामिल करना

(2) जाति लिंग, भाषा या धर्म का भेदभाव किए बिना समानता का अधिकार देना,

(3) मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देना।

संयुक्त राष्ट संघ ने यह निर्णय लिया है कि मूलभूत स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार अविभाज्य तथा परस्पर आश्रित हैं। सिविल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने संवर्धन एवं संरक्षण पर बराबर ध्यान दिया जाय तथा इन आवश्यक मुद्दों पर तुरन्त विचार किया जाए।

मोटे तौर पर मानव अधिकारों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है–

सिविल तथा राजनीतिक अधिकार

सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार समाविष्ट हैं

1. व्यक्ति के जीवन, सत्यनिष्ठा, स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकार,
2. न्याय का अधिकार,
3. एकान्तता का अधिकार,
4. धर्म या सम्प्रदाय तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार,
5. संचरण (आने–जाने) की स्वतन्त्रता,
6. सभा तथा संगठन का अधिकार,
7. राजनीतिक भागीदारी का अधिकार

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

(1) कार्य करने का अधिकार,

(2) जीवनयापन का समुचित स्तर पाने का अधिकार (इसमें रोटी, कपड़ा और मकान भी शामिल है।),

(3) स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल का अधिकार,

(4) सांस्कृतिक जीवन से जुड़े कार्यकलापों में भाग लेने का अधिकार

संयुक्त राष्ट संघ मानव अधिकारों को विश्वव्यापी मुद्दो से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मानव अधिकारों से जुड़े उन मसलों का

समाधान ढूँढने का अथक प्रयास किया जा रहा है, जो लाखों सुविधावंचित, बेघर, भेदभाव के शिकार तथा घोर गरीबी में जी रहे लोगों से संबन्धित हैं।

तेहरान (1968) के घोषणपत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है जो इस प्रकार है।

(क) प्रमुख विश्वव्यापी पैटर्न तथा मुद्दों के साथ मानव अधिकारो को जोड़ना,

(ख) मानव अधिकारों के उल्लंघन के मूल कारणों को पता लगाना,

(ग) ठोस/मूर्त सन्दर्भो, स्थितियों के अनुसार मानव अधिकारो का आकलन,

(घ) राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की विविधता 'सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव तथा

विकास के विविध स्तरों को पहचानना।

(च)विकास की प्रकिया में मानव की केन्द्रीभूत स्थिति तथा मानव अधिकारों के विकास के साथ

सम्पर्क/ सम्बन्ध स्थापित करना।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा – (नवभारत टाइम्स 20 सितम्बर 1998)

1. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और सामानता प्राप्त है।

(2) सभी को इस घोषणा में सन्निहित, सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

(4) कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नही रखा जाएगा, गुलामी–प्रथा और गुलामों का व्यापार निषिध है।

(5)किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा ।

(6)हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त करनेंका अधिकार है।

(7)कानून की निगाहो में सभी समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है।

(8)सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यो के विरूद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

(9)किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(10)सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यो के निश्चय करने के मामले में और उन पर फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप मे निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

(11)प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में जहॉ उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए ।

(12)किसी व्यक्ति की निजता, परिवार, घर या पत्र–व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप नही किया जायेगा।

(13)प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक आने–जाने और बसने का अधिकार है।

(14)प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों मे शरण लेने और रहने का अधिकार है।

(15)प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र–विशेष की नागरिकता पाने का अधिकार है।

(16)बालिग स्त्री–पुरूषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने का अधिकार है।

(17)प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ सम्पत्ति रखने का अधिकार है।

(18)प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्याक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकर है।

(19)प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है।

(20)प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

(21)प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है।

(22)समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

(23)प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित व सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।

(24)प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, इसके अन्तर्गत काम के घंटो की उचित हदबन्दी और समय–समय पर मजदूरी सहित छुट्टियॉ सम्मिलित है।

(25)प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो।

(26)प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है।

(27) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओ में भाग लेने का हक है।

(28) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी समाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

(29) प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास सम्भव हो।

भारत में मानव अधिकारों की संकल्पना का विकास

यह अत्यन्त रोचक तथ्य है कि अधिकारों की संकल्पना न तो पूर्णतः पूर्व की देन है और न ही पश्चिम की न ही यह आधुनिक है। ऋग्वेद में तीन सिविल अधिकार दिए गए है– तन, स्कृधि (वास) तथा जीवासी (जीवन), महाभारत में भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता की महत्ता बताई गई है। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में व्यक्ति, वर्ग, जाति, समुदायों के अधिकार और कर्तव्यों अर्थात् धर्म की संकल्पना वर्णित की गई है। दूसरी शती इ0पू0 में भारत में जनता द्वारा 'राजा' चुना जाता था। अर्थशास्त्र में मनु द्वारा प्रतिपादित सिविल और विथिक अधिकारों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इसमें आर्थिक अधिकार भी शामिल हैं। जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तब विदेशी शासन का विरोध करते समय लोगों की मूलभूत स्वतन्त्रता और सिविल तथा राजनीतिक अधिकारो की मांग की गई थी। स्वतन्त्रता संग्राम की अग्रणी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिशा में आन्दोलन की बागडोर संभाली।

भारतीय संविधान बिल, 1895 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 'होमरूल दस्तावेज' के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक के मानव अधिकारों',

जैसे– विचारो की स्वतन्त्रता, संचरण (आने–जाने), बसने , संपत्ति, कानून के समक्ष समानता का अधिकार आदि की गारंटी पर चर्चा की गयी है। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग रखी कि अधिकारों के घोषणा पत्र में भारत के लेागों को भी ब्रिटिश नागरिको के समान शामिल किया जाए। अन्य बातों के साथ–साथ कानून के समक्ष समानता, स्वतन्त्रता, जीवन व सम्पत्ति की रक्षा, विचार एवं अभिव्यक्ति (बोलने) तथा प्रेस की स्वतन्त्रता और सभा या संघ बनाने के अधिकारो की भी मांग की गई। 1918 में दिल्ली सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधिनता के सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया।

आयरिश स्वतन्त्र राज्य के संविधान में 1921 में मूल अधिकारो की सूची शामिल की गयी थी। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिन्तनधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1925 में 'कामनवेल्थ आफ इडिया बिल' के मसौदे को अन्तिम रूप दिया गया तथा इसमें अधिकारों का घोषणा पत्र भी शामिल किया गया। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास सम्मेलन भावी संवैधानिक रूप रेखा तैयार करते समय मूल अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल करने की मांग की गई थी। श्री मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 1928 में अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने घोषणा की कि इसका पहला मुद्दा भारत के लोगों का मूल अधिकार सुनिश्चित करना हैं । 1950 में लागू भारत गणराज्य के संविधान में मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट में वर्णित 19 अधिकारों में से 10 अधिकार शामिल किये गए थे।

मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट में इन अधिकारों पर बल दिया गया था–

1. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, रहने का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार,
2. लोक–व्यवस्था के तहत विवेक से एवं नैतिक आधार पर व्यवसाय तथा किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता,
3. विचार अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता, शांतिपूर्वक अस्त्र–शस्त्र के बिना मिलकर बैठने की स्वतन्त्रता, सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति के साथ–साथ नैतिकता बरकरार रखते हुए संगठन तथा यूनियन बनाने का अधिकार,
4. अनिर्वाय स्तर तथा शिक्षा पाने का अधिकार तथा राज्य द्वारा चलाई जा रही या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में धर्म तथा जाति के भेदभाव के बिना प्रवेश पाने का अधिकार,
5. कानून और सिविल अधिकारों के मामले में सभी नागरिकों की समानता,
6. प्रत्येक नागरिक को बन्दी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अधिकार,
7. कार्योत्तर कानून के तहत दण्ड से बचाव।
8. धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को सरकारी रोजगार, कार्यालय का अधिकार,
9. नागरिकों को प्रवेश का अधिकार सार्वजनिक मार्गो, कुँओं, तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाने के समबंध में समानता का अधिकार,
10. श्रम तथा आर्थिक स्थितियों/शर्तो के कार्यान्वयन और संघ बनाने की स्वतन्त्रता,
11. विनिमयों के अनुसार अस्त्र–शस्त्र रखने का अधिकार,

12. नागरिक के रूप में महिलाओं और पुरूषों को समानता का अधिकार।

1930 में लाहौर कांग्रेस में विदेशी शासन से स्वतन्त्रता मूल अधिकार के रूप में घोषित की गई थी। 1931 में कराची कांग्रेस में तीन भागों में 'मूल अधिकार तथा सामाजिक परिवर्तन' संकल्प पारित किया गया। ये तीन भाग इस प्रकार थे–

1. मूल अधिकार तथा कर्तव्य 2. श्रम और 3. आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 धारा 297–300 में कुछ अपवादों सहित कतिपय अधिकार शामिल किए गए थे।

1945 में सप्रू समिति ने मूलभूत अधिकारों की लिखित संहिता की आवश्यकता पर बल दिया । संविधान सभा (1946) में मूलभूत अधिकारों के घोषणापत्र की मांग की गई थी ।

जनवरी 1950 में भारत की जनता द्वारा अपना संविधान लागू किया गया। भारत में मानव, अधिकारो की संकल्पना के विकास में यह एक महत्वपूर्ण घटना था।

भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश है जो मानव अधिकारो की सीमा को बढाता है। आलोचक मूल अधिकारों के विषय में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ओर मूल अधिकार प्रदान करता है तो दूसरी ओर प्रतिबन्धो के माध्यम से उन्हे स्थगित भी करता है। संविधान में आपातकाल में मूल अधिकारों का प्राविधान है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर संविधान में यह व्यवस्था कमजोर पड़ती है। संविधान में यह व्यवस्था अल्पकालिक है। ऐसी स्थिति में अधिकारों की स्वतन्त्रता की रक्षा में न्यायालयों एवं व्यक्तियों को अनवरत सजग रहना आवश्यक है।

भारत में मानवधिकारों की रक्षा के लिए दिसम्बर 1993में दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया । इस आयोग ने एक सभापति, चार पूर्णकालिक सदस्य और तीन पदेन सदस्य होते हैं। सांविधिक रूप से आयोग को निम्नलिखित कार्यो को करने का अधिकार है।

(1) स्वप्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शिकायत के सम्बन्ध में प्रस्तुत याचिका पर जॉच करना–

(क) मानव अधिकारो का उल्लंघन तथा इस सम्बन्ध में उकसाना अथवा

(ख) सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही बरतना।

(2) न्यायालय के अनुमोदन से इस न्यायालय के समक्ष मानव अधिकारों के उल्लंघन के अरोप से सम्बन्धित लंबित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना।

(3) राज्य सरकार को सूचित करते हुए उस सरकार के नियन्त्रण में किसी जेल या ऐसी किसी अन्य संस्था में दौरा करना जहॉ सुधार या बचाव की दृष्टि से बंदी बनाकर रखे गये है या ठहराए गये है, ताकि इन संस्थाओं में रहने वाले व्यक्तियों की परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके तथा इस संबंध में सिफारिश की जा सके।

(4) मानव अधिकारो की सुरक्षा के लिए लागू संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों की समीक्षा तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपायो की सिफारिश करना।

(5) आतंकवादी कृत्यो सहित उन कारणो की समिक्षा करना जो मानव अधिकारो उपयोग में बाधा डालते है तथा इस संबंध में उपचारात्मक उपयोगो की सिफारिश करना

(6) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा शोधकार्यो को बढावा देना।

(7) समाज के विभिन्न वर्गों को मानव अधिकारो से अवगत कराना तथा प्रकाशन संचार माध्यम,

सेमिनार और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के संबंध में जागरूकता लाना।

(8) मानव अधिकार क्षेत्र कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों तथा संस्थाओ को प्रोत्साहित करना।

(10) मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य।

मानवाधिकार का यथार्थ–बाजारवाद

प्रदूषण, गरीबी, क्षेत्रीय, विषमता, वनदोहन, वैश्वीकरण, मानवाधिकरों का प्रति संवेदनशील नहीं है। बाजारवाद ने समस्त नैतिक मूल्यों को तोड़ दिया है। आज नारी सौन्दर्य एवं काया का विज्ञापन के रूप में बेहिचक उपयोग किया जा रहा हैं। प्रदूषण ने सामाजिक स्वास्थ्य को बिनष्ट किया है। लोगो को स्वस्थ रहने की शक्ति समाप्त हो चुकी है।

गरीबी ने पोषण के अधिकार को खा लिया है। क्षेत्रीय वैषम्य ने गरीबी को और फैलाया है तथा लोग अपना धर बार छोड़कर अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहें हैं। वन दोहन, वॉध निर्माण ने जनजातियों के लिए अनेक समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं। वॉधों के कारण मूल स्थान से विस्थापित जनजाति समुदाय मानवधिकारों से वंचित है। वस्त्र भोजन तथा वृत्ति सम्बन्धी समस्यायें प्रखर हैं। वैश्वीकरण से किसानों मजदूरो के समस्याओं में बढोत्तरी हुयी। छोटे–छोटे उद्योग बन्द हो रहे हैं, वेरोजगारी बढ रही है। मानवाधिकार के प्रश्न जटिल है। यदि इनका समुचित समाधान नहीं हुआ तो सामाजिक वैमनस्य से बचना दुरूह होगा विश्व का कोई भी देश,समुदाय मानव अधिकारों के व्यापक क्रियान्वयन एवं उपयोग का आदर्श प्रस्तुत नही कर पाया है। जब तक इसकी व्यापक सर्वस्वीकृति नही बन पाती, तब तक मानव अधिकार मात्र मन लुभावन ही रहेगा।

बच्चे, महिलायें एवं मानवाधिकार

गरीबी से जूझ रहे परिवारो के बच्चों का सर्वाधिक शोषण होता हैं, क्योंकि बच्चे ही गरीब के धन होते है। गरीबो के कुछ बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु के गोद में चले जाते है। बचे हुये बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं तथा सड़को, पटरियो, कारखानो, खेतों तथा चाय पान की दुकानों पर काम करते हुये जीवन यापन करते हैं। अपनी रोटी के साथ मॉ–बाप के लिए भी रोटी की ब्यवस्था करते हैं ईट भट्ठों शहर की गन्दी बस्तियो, कूड़ा बिनने वाले, बुनकर, बच्चों का जीवन यातनामय हैं। शिक्षा भोजन वस्त्र एवं आवास जैसी आधारभूत सेवाओं से वंचित ये बच्चे मानवता के लिए चुनौती है। बाल वेश्यावृत्ति भी भयानक अमानवीय परिस्थिति है, जिसे बालिकायें झेलती हैं, तथा एड्स जैसी घातक बीमारी की शिकार हो जाती है। घरेलू हिंसा भी एक जटिल समस्या है। यद्यपि बाल विवाह में कमी आयी है। फिर भी कभी–कभी बाल विवाह की घटनाये समाचार पत्रों में प्रकाशित होते है भारत में बालक एवं मानवधिकार की स्थिति सन्तोषजनक नही है। अब बाल अधिकार के दायरे में स्तन पान भी है। मॉ का दूध प्रकृति ने शिशुओं के लिए बनाया है। मॉ का दूध प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यह शिशु का नैसर्गिक अधिकार हैं सम्प्रति कतिपय माताएं दुग्ध पान नहीं कराती। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा (1948) अनुच्क्षेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति के अपने और कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन–स्तर के अधिकार की गारंटी देता है। प्रत्येक व्यक्ति शब्द में 'नवजात शिशु' शब्द सम्मिलित है माता शिशु को स्तनपान से वंचित नही कर सकती । महिलाएं स्तनपान के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। वैश्विक पहल के बावजूद स्तनपान परिप्रेक्ष्य में कार्य करने की आवश्यकता है। यह कानून से हटकर मानवीय संवेदना का प्रश्न है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा आदि पर प्रावधान किये गये हैं। इसमें परिवार समुदाय द्वारा शारीरिक, यौन उत्पीड़न मानसिक हिंसा को परिभाषित किया गया। पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या में 2002–2007 में महिलाओं को अधिकार संपन्न और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में व्यापकता प्रदान की गयी है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर संसद एवं विधानसभा एक तिहाई आरक्षण देने के संकल्प बार–बार दुहराये जा रहे है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का योगदान

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधियों, सन्धियों तथा अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विचार किया। आयोग ने आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 (पोटा), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929, घरेलू हिंसा संरक्षण आदि अधिनियमों का परीक्षण किया। समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर आयोग ने इस मामले में स्वयं पहल की। वर्ष 2003–2004 में आयोग ने नागरिक स्वतन्त्रताओं पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित किया जिसमें आतंकवाद, हिरासत में मौंते, यन्त्रणा, मुठभेड़ में मृत्यु, पुलिस ढॉचे में सुधार आदि, फेंरेनसिक विज्ञान प्रयोगशालाओ में सुधार, विधियों का पुनरीक्षण मानव अधिकारो पर सन्धियो एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उल्लेखों का कार्यान्वयन, स्वास्थ्य का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, पर्यावरण सम्बन्धी मामले, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं मानवाधिकार न्यायालय आदि सम्मिलित थे । आयेाग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने जेलों एवं मानसिक अस्पतालों का दौरा किया।

वर्ष 2002–2003 के पूर्व 56462 मामले लम्बित थे । वर्ष 2002–2003 के दौरान 68779 याचिकायें पंजीकृत की गयी। इस वर्ष के दौरान 82231 नये व पुराने मामले आयोग द्वारा निपटाये गये। वर्ष 2004–05 में 74401 शिकायतें प्राप्त हुई तथा 85661 शिकायतें निपटाई गयी। वर्ष 2005–2006 के दौरान आयोग को 74444 शिकायतें प्राप्त हुई तथा 80923 शिकायतें निस्तारित की गयी। इनमें वह शिकायतें भी शामिल थी जो पूर्व के वर्षो में प्राप्त की गयी थी ।

इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के सम्मान एवं बेहतर संरक्षण के लिये सराहनीय कार्य किया है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने आयोग की 93% संस्तुतियों को स्वीकार किया हैं। यह अपने आप में एक प्रशंसनीय योगदान है क्योंकि आयोग केवल संस्तुति दे सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से मानव अधिकारों का अनुपालन नही करवा सकता है। फिर भी हिरासत में होने वाली मृत्यु, बलात्कार एवं यन्त्रणा, पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरूपयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगा दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सम्पूर्ण कार्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ कमियों के वावजूद आयोग ने मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अंसारी, एम0ए0(2003) 'महिला और मानवाधिकार' ज्योति प्रकाशन, 187 बरकत नगर, टोंकफाटक, जयपुर।
2. सुब्रहमण्यम, एस0 (2007) 'पुलिस और मानवाधिकार' प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली
3. सिंह, मंगला (2008) ' पर्यावरण अध्ययन' मिश्रा ट्रेंडिंग कारपोरेशन, मैदागिन, वाराणसी।

4. त्रिपाठी, डी0पी0 'मानवाधिकार' इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
5. उपाध्याय, जयराम, 'मानवाधिकार' सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद
6. श्रीवास्तव सुधा रानी 'मानवाधिकार' मघ्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल